राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर

Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur

C-7(A) Sulthan House, Sawai jai singh Highway, Banipark, Jaipur – 302016
Website : https://rsahcouncil.org , Contact : 0141-4004914 Email-id affiliation@rsahcouncil.org

क्रमांकःपं./राज.स्टेट.अ.हैल्थकेयर कौं./मान्यता/2025/82 दिनांक :– 24.02.2025

सचिव/अध्यक्ष/निदेशक/प्रधानाचार्य
समस्त मान्यता प्राप्त निजी पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्थान
राजस्थान।

सार्वजनिक सूचना

विषय :– पैरामेडिकल शैक्षणिक संस्थान/महाविद्यालय के स्वयं के भवन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका ध्यान राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर परिवर्तित नाम राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर द्वारा पूर्व में जारी सार्वजनिक सूचना क्रमांक 07 दिनांक 09.07.2020, 113 दिनांक 08.12.2020 व पत्रांक 12 दिनांक 27.01.2021 की ओर आकर्षित कर लेख है कि जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम 2008 की धारा 28(4) के अन्तर्गत राजकीय/निजी पैरामेडिकल संस्थान/महाविद्यालयों को कौंसिल द्वारा पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की मान्यता प्रदान की गई थी।

साथ ही इस संबंध में आपका ध्यान राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल विनियम 2014 के Part XV Rule 53 (1)A के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार उद्धरित है–

"**Building:** Institute shall have prefereably its own building. Whereas to start with, a rented building may be permitted for a period of maximum 5 Years on submission of a registered rent agreement,"

इस प्रकार उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि किराये के भवन में संस्थान/महाविद्यालय का संचालन मान्यता प्रदान किये जाने की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक अनुमत किया जा सकता है, तदुपरान्त संस्थान/महाविद्यालय को उनके स्वंय के स्वामित्व के भवन में स्थानान्तरित कर वहाँ संचालित किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त संबंध में आप द्वारा आज दिवस तक शैक्षणिक संस्थान को स्वयं के भवन में स्थापित किये जाने से सम्बन्धित सूचना कौंसिल को उपलब्ध नही करवाई गई है, एवं कौंसिल द्वारा समय–समय पर जारी सार्वजनिक सूचनाओ के संदर्भ में आप द्वारा किराये के भवन में संचालित संस्थान को नियमानुसार स्वयं के भवन में स्थापित किये जाने हेतु अवगत नहीं करवाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आप द्वारा शैक्षणिक संस्थान/महाविद्यालय में कौंसिल के नियम विरूद्ध डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

इस संबंध में राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 11.02.2025 के एजेण्डा नम्बर 12 में कौंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान/महाविद्यालय जो 05 वर्ष से अधिक किराये के भवन में संचालित किये जा रहे है, उनको अंतिम अवसर प्रदान करते हुये स्वयं के भवन में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आपका ध्यान राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर परिवर्तित नाम राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर से मान्यता/संबंद्वता प्राप्त समस्त निजी संस्थान/महाविद्यालय संचालकों से अपेक्षा की जाती है कि जो संस्थान/महाविद्यालय मान्यता प्राप्ति की दिनांक से 5 वर्ष या इससे अधिक समय होने के उपरान्त भी किराये के भवन में संचालित है, या बिना कौंसिल की अनुमति के स्वयं के भवन में स्थापित कर शिक्षण कार्य सम्पादित कर रहे है, उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे शैक्षणिक संस्थान/महाविद्यालय को किराये के भवन से शैक्षणिक संस्थान के स्वयं के भवन में स्थापित/स्थानान्तरित करने हेतु नियमानुसार शुल्क राशि जमा व संबंधित आवश्यक दस्तावेज कौंसिल को 15 दिवस में अति–आवश्यक रूप से भारतीय डाक/व्यक्तिशः उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे, जिससे अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सकें।

P.T.O.

अन्यथा मान्यता प्राप्ति के 5 वर्ष समाप्ति के उपरान्त स्वंय के भवन में संस्थान/महाविद्यालय स्थापित/स्थानान्तरित नहीं होने व स्वयं के भवन में स्थापित/स्थानान्तरित किये जाने से संबंधित तथ्यो को छिपाये जाने की स्थिति में संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2025–26 की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जाकर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्थान/महाविद्यालय संचालक की होगी।

अतः यह सार्वजनिक सूचना समस्त मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल संस्थान/महाविद्यालय संचालको व छात्रहित में एतद् द्वारा जारी की जाती है।

कृपय सूचित रहें।

(उत्तम सिंह शेखावत)
RAS
सचिव

क्रमांकःपं./राज.स्टेट.अ.हैल्थकेयर कौं./मान्यता/2025/ 82 **दिनांक** :– 24.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम को भिजवाकर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना को समस्त महाविद्यालय/ संस्थान में ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करावें तथा विभागीय वैबसाईट पर भी प्रकाशित करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

सचिव